

झारखंड सरकार
जल संसाधन विभाग।

आ0सं0प्र0-8 / ज0सं0(नि0)ल.सिं.राँची-16 / 13:-

/राँची, दिनांक:-

आदेश

विभागीय दंडादेश के विरुद्ध प्राप्त अपील अभ्यावेदन के आलोक में पुनर्विचार मामले के संबंध में पूर्ण समीक्षा कर स्पष्ट मत बनाने हेतु विभागीय समिति का गठन किया जाता है, जो निम्नवत है:-

- | | |
|--|----------------------|
| i) अभियंता प्रमुख-I | - अध्यक्ष |
| ii) अभियंता प्रमुख-II | - उपाध्यक्ष-सह-सदस्य |
| iii) मुख्य अभियंता(मोनिटरिंग) | - सदस्य |
| iv) श्री शिवानन्द राय, अधीक्षण अभियंता | - सदस्य |
| v) संयुक्त सचिव (नि.) | - सदस्य |
| vi) श्री लम्बोदर महतो, अवर सचिव(नि.) | - सदस्य |

2- उक्त समिति मामले के गुण दोष की विवेचना कर अपना अभिमत देगी। अभिमत में स्पष्ट आधार एवं पुनर्विचार के लिए आए ठोस आधार को स्पष्ट रूप से अंकित करेगी।

3- उक्त समिति द्वारा समर्पित अभिमत में अंकित विषय वस्तु निर्णयार्थ विभागीय मंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

4- उक्त आदेश पर विभागीय मंत्री की सहमति प्राप्त है।

ह0/-

(डॉ.लम्बोदर महतो)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:- 2755

/राँची, दिनांक:- 22-8-14

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग, झारखंड, राँची के आप्त सचिव/ सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखंड, राँची/ अभियंता प्रमुख-I, जल संसाधन विभाग, झारखंड, राँची/ अभियंता प्रमुख-II, जल संसाधन विभाग, झारखंड, राँची/ मुख्य अभियंता (मोनिटरिंग), जल संसाधन विभाग, झारखंड, राँची/ श्री शिवानन्द राय, अधीक्षण अभियंता, गेट एवं बाँध एवं गेट रूपांकण अंचल, राँची/ संयुक्त सचिव (नि.) जल संसाधन विभाग, झारखंड, राँची/ श्री लम्बोदर महतो, अवर सचिव(नि.) जल संसाधन विभाग, झारखंड, राँची/ सभी अवर सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखंड, राँची/ प्रशाखा-8 (A एवं B) जल संसाधन विभाग, झारखंड, राँची/ उप सचिव (अभियंत्रण)-सह- नोडल पदाधिकारी / वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखंड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(डॉ.लम्बोदर महतो)

सरकार के अवर सचिव।

22-8-14